उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2014

अध्याय-2

सहकारी समितियों के निर्वाचन के सामान्य नियम

3- उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी समिति या समितियों या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों का निर्वाचन अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार होगा।

4- सहकारी समिति के सचिव अथवा प्रबन्ध निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के समाप्ति के दिनांक के 4 मास पूर्व, उस जिले, जिसमें समिति का पंजीकृत मुख्यालय स्थित है, के जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा उस प्राधिकारी, जिसे समिति के किसी वर्ग या वर्गों के लिए आयोग द्वारा, ऐसे प्रायोजन के लिए अधिकृत किया गया हो, को लिखित रूप से समिति की निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक की सूचना देगा और अवधारण शुल्क जमा किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए समिति के निर्वाचन कराए जाने का अनुरोध करेगा।

5(क)- सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल के समाप्त होने की सूचना प्राप्त होने पर जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह जनपद की समस्त ऐसी समितियों, जिनका कार्यकाल आगामी 4 मास के भीतर समाप्त हो रहा हो, की संकलित सूचना आयोग को दे और निर्वाचन हेतु तिथि निर्धारित किये जाने की संस्तुति करे।

(ख) सहकारिता एंव अन्य विभागों की सहकारी समितियों को पंजीकृत करने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि, वह अपने क्षेत्राधिकार की सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु अपेक्षित सूचना एंव अभिलेख जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी एवं आयोग को या आयोग के प्राधिकृत अधिकारी को अपेक्षा किये जाने पर उपलब्ध कराए।

6- उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 में किसी बात के होते हुए भी निबन्धक का यह उत्तरदायित्व होगा कि किसी नई समिति को पंजीकृत करने के पश्चात् अथवा धारा 35 के अधीन प्रबन्ध कमेटी को अवक्रमित किये जाने अथवा समिति के समामेलन, विभाजन, अवक्रान्त या अन्य आकस्मिक दशाओं में गठित अन्तरिम कमेटी की तत्काल सूचना प्रबन्ध कमेटी के सम्यक् निर्वाचन कराने के उद्देश्य से आयोग को प्रदान करे।

उक्त के अतिरिक्त निबन्धक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि किसी समिति को परिसमापित किये जाने अथ्वा निबन्धन निरस्त किये जाने का आदेश दिये जाने पर उक्त आदेश के सम्बन्ध में आयोग को संसूचित करते हुए यह अनुरोध करे कि सम्बन्धित समिति का निर्वाचन न कराया जाय।

7- जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी या निबन्धक या समिति के सचिव अथ्वा प्रबन्ध निदेशक से निर्वाचन कराये जाने की सूचना प्राप्त होने पर आयोग समितियों के किसी वर्ग या वर्गो के लिये निर्वाचन तिथि निर्धारित करेगा। आयोग द्वारा ऐसा किये जाने पर उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट या जिला सहकारी निर्वाचन

अधिकारी, जहाँ समिति का मुख्यालय स्थित हो, नियत दिनांकों को निर्वाचन कराने के लिए कार्रवाई करेगा, और इस प्रयोजन के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की सेवाओं की उसके द्वारा अपेक्षा की जा सकती है और यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी के सम्बन्ध में ऐसा कोई आदेश जिला मजिस्ट्रेट या जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है तो उसका पालन न करना अपराध समझा जायेगा, जिसके सिद्ध होने पर, वह जुर्माने से जो तीन हजार रूपये तक हो सकता है या कारावास से जो तीन माह तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, लखनऊ की शाखाओं के सदस्यों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन कराने का प्राधिकार उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट में निहित होगा जहाॅं ऐसी शाखा स्थित होः

8- किसी सहकारी समिति या समितियों या सहकारी समितियों के किसी वर्ग या वर्गों का निर्वाचन ऐसे दिनांक को होगा, जो आयोग नियत करे और सम्बद्ध जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार नियत् किये गये दिनांक पर, इस प्रायोजन के लिए समितियों के भिन्न-भिन्न वर्ग या वर्गाेंं के लिए या भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए एक या एक से अधिक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि उस विभाग का जो समिति के प्रबन्ध या प्रशासन से सम्बद्ध हो, कोई अधिकारी /कर्मचारी, निर्वाचन अधिकारी नियुक्त नहीं किया जायेगा।

9- निर्वाचन अधिकारी ऐसे समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा जो इस नियमावली के अधीन व्यादिष्ट किये जाएं या उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिये प्रासंगिक या आवश्यक हों, किन्तु किसी निर्वाचन अधिकारी की अनुपस्थिति में कोई सहायक निर्वाचन अधिकारी अथ्वा मतदान अधिकारी जिसे जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो, निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करेगा।

10- इस नियमावली के किन्ही अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये ऐसे सरकारी सेवकों में से, जो समितियों के प्रबन्ध और प्रशासन से सम्बद्ध न हो, निर्वाचन के संचालन में अपनी सहायता के लिये मतदान अधिकारी प्रतिनियुक्त कर सकता है।

11- समिति की प्रबन्ध कमेटी तथा सम्बद्ध सहकारी समिति का प्रत्येक अधिकारी, निर्वाचन कराने में निर्वाचन अधिकारी को पूरी सहायता देने के लिये बाध्य होंगे और ऐसे सभी अभिलेख उपलब्ध करायेंगे जिनकी निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु अपेक्षा की जाय।

12- (क) समिति का सचिव अथ्वा प्रबन्ध निदेशक समय-समय पर आयोग द्वारा दिये गये निदेशों या तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार समस्त मतदाताओं की सूची, जिनके नाम के सम्मुख अधिनियम, निर्वाचन नियमों अथ्वा उपविधियों में वर्णित कोई अनर्हता, यदि कोई हो, उल्लिखित की जायेगी, तैयार करेगा और इस सूची में

निर्वाचन के दिनांक के 120 दिन पूर्व सम्यक् रूप से नामावलिगत सदस्य, साधारण सदस्य या सहानुभूतिकर सदस्य सम्मिलित किये जायेंगे।

(ख) कृषि ऋण सहकारी समितियों के मामले में, वही सदस्य मतदाता सूची में सम्मिलित किये जायेंगे, जिनके द्वारा निर्वाचन तिथि के 120 दिन पूर्व विगत् 3 सहकारी वर्षों के दौरान कम से कम किसी वर्ष में समिति से लेन-देन किया गया होः

प्रतिबन्ध यह है कि जिन समितियों के सामान्य निकाय का गठन व्यक्तिगत सदस्यांे एवं समिति के प्रतिनिधियों द्वारा अथ्वा केवल समिति के प्रतिनिधियों द्वारा होता है, उनकी मतदाता सूची सहकारी नियमावली के नियम-89 के अधीन तैयार की जायेगी और इस प्रकार तैयार की गई मतदाता सूची, अनन्तिम मतदाता सूची कहलायेगी जिस पर सचिव या प्रबन्ध निदेशक के हस्ताक्षर और मोहर होंगें

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समिति जो परिसमापनाधीन हो अथ्वा प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन न होने के कारण निलम्बित/अवक्रमित की गई हो, के प्रतिनिधि उक्त मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेगे।

13- नियम-12 के अनुसार तैयार की गई अनन्तिम सूची, निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस दिनांक, समय और स्थान पर जो निर्वाचन कार्यक्रम में अधिसूचित की जाय, प्रदर्शित की जायेगी।

14- कोई उम्मीदवार, प्रबन्ध कमेटी के एक से अधिक पद के लिए साथ-साथ निर्वाचन लड़ने के लिए अर्ह न होगा। यदि एक से अधिक पद के लिये नाम-निर्देशन-पत्र वैध पायें जाये ंतो उसे केवल एक पद के लिये विकल्प देना होगा तथा अन्य के लिए अपना नाम-निर्देशन-पत्र वापस लेगा। ऐसी वापसी के लिए निश्चित दिनांक के पूर्व यदि वह अपने विकल्प का प्रयोग करने में चूक करे, तो उसके समस्त नाम-निर्देशन-पत्र अवैध हो जायेंगे।

15- सहकारी समिति के अर्ह साधारण एवं सहानुभूतिकर सदस्य को, चाहे समिति की पूॅंजी में उसके हित की मात्रा कितनी हीं क्यों न हो, समिति के निर्वाचन में केवल एक मत देने का अधिकार होगा।

16- यदि किसी अभ्यर्थी, जिसका नामांकन नियम-49 के अधीन विधि द्वारा मान्य पाया गया हो और जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस न ली हो, मृत्यु हो जाती है और मतदान होने के पूर्व उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी, उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेने के पश्चात् सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को स्थगित कर देगा और इसकी सूचना जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी और आयोग को देगा और उस निर्वाचन क्षेत्र या पद के लिये नामांकन नये सिरे से दाखिल किये जायेंगें, किन्तु उस व्यक्ति के लिए जो मतदान स्थगित किये जाने के समय निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी था, कोई अतिरिक्त नामांकन आवश्यक न होगा, और ऐसा व्यक्ति जिसने मतदान स्थगित कर दिये जाने के पूर्व अपना नामांकन

वापस लिया था, वह ऐसे स्थगन किये जाने के पश्चात नामांकन दाखिल किये जाने के लिये अनर्ह न होगा और मतदान ऐसे स्थगन के पश्चात उस दिनांक को होगा जो आयोग द्वारा नियत किया जाय।

17- समिति के निर्वाचन से सम्बन्धित प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने पर, नियम-16 में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से कोई निर्वाचन प्रक्रिया रोकी नहीं जायेगीः

परन्तु यह कि यदि मतदान स्थल पर बलवे या खुली हिंसा के कारण मतदान या निर्वाचन की किसी कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हो जाय या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण निर्वाचन कराया जाना सम्भव न हो तो ऐसे निर्वाचन के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारी, बाद में अधिसूचित किये जाने वाले आगामी दिनांक तक के लिये निर्वाचन के स्थगन की घोषणा करेगा। ऐसे स्थगन की सूचना तत्काल जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी और आयोग को दी जायेगी जिस पर आयोग निर्वाचन के लिये नया दिनांक नियत करेगाः

परन्तु यह और कि, निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रयोग की जा रही मतदान डायरी में पूरे घटनाक्रम का क्रमबद्ध/समयबद्ध वर्णन करने के पश्चात् ही निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की जाएगी।

18- यदि किसी कारण से निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी समिति का निर्वाचन रोका गया है तो निर्वाचन की प्रक्रिया उस प्रक्रम से, जहा पर उसे रोका गया था, या उसके पूर्व के प्रक्रम से या नये सिरे से, जैसा कि आयोग विनिश्चय करे, प्रारम्भ की जायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामांकन के पश्चात् वैध नाम-निर्देशन पत्रों पर चुनाव चिन्हों का आबंटन कर दिया गया है तो निर्वाचन की कार्यवाही आगे चलायी जायेगी और निर्वाचन ऐसे दिनांक को कराया जायेगा जो आयोग नियत करें;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी सहकारी समिति का निर्वाचन अधिनियम की धारा-29 की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन आयोग द्वारा स्थगित किया जाता है तो निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया नये सिरे से प्रारम्भ की जायेगी।

19- प्रत्येक निर्वाचन में मतदान समाप्त होने के पश्चात् मतपत्रों की गणना निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 44 में विहित रीति और आयोग के दिशा-निर्देशों के अधीन करायी जायेगी और प्रत्येक अभ्यर्थी, उसके निर्वाचन अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह गणना के समय उपस्थित रहें।

20- अधिनियम के उपबन्ध एवं इस नियमावली के अधीन जारी किये गये सहकारी नियम, आदेश एवं दिशा-निर्देश प्रत्येक पुनर्मतदान पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वह मूल मतदान में लागू होते हैं।

21-(1) यदि निर्वाचन के पश्चात् किसी समिति की प्रबन्ध कमेटी में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित किये जाने वाले विहित संख्या से कम पायी जाती है तो रिक्त स्थानों के लिए निर्वाचन, यथासम्भव शीघ्र कराये जायेंगेः

प्रतिबन्ध यह है कि सभापति/उपसभापति और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए मताधिकार प्राप्त सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक सदस्य का होना अनिवार्य है।

(2) यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि समिति की निष्क्रियता या अन्य कारणों से किसी समिति का निर्वाचन कराया जाना सम्भव नहीं है, तो आयोग ऐसी समिति विशेष को परिसमाप्त किये जाने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारी को संस्तुति कर सकता है और सम्बन्धित प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि समिति को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि अनुसार समिति को परिसमाप्त करने या समिति का पंजीकरण निरस्त किये जाने की कार्रवाई करे।

22- सहकारी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देश बाध्यकारी होंगे।